

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 जून, 2011—ज्येष्ठ 16, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2011

क्र. 30-एफ-1-30-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 292-क, 292-ख और 292-ड के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 339-क, 339-ख और 339-ड के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपनियम (1) में, “कालोनाईजर” एवं “कालोनी” की परिभाषा का लोप किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है.”.

2. नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(10) आवासीय कालोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिए भूखण्डों/भवनों की उपलब्धता.—

(1) शहरी क्षेत्र में की प्रत्येक आवासीय कालोनी में कालोनाइजर द्वारा विकसित भूखण्डों के क्षेत्र में से 32 से 40 वर्ग मीटर क्षेत्र के आकार के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर पूर्ण विकसित भूखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखने होंगे.

- (2) ऐसा कालोनाइजर, जो अपनी आवासीय कालोनी में उपनियम (1) के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए विकसित भूखण्डों के बजाय निर्मित आवासीय भवन उपलब्ध कराना चाहें तो वह कालोनी में सभी श्रेणियों के भवनों के कुल संनिर्मित क्षेत्र के पन्द्रह प्रतिशत क्षेत्र के बराबर 20 से 25 वर्गमीटर आकार के निर्मित आवासीय भवन उपलब्ध करा सकेगा.
- (3) उस भूमि के संबंध में, जिस पर नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) लागू होता है, राज्य सरकार से नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) की धारा 20 के अधीन उस भूमि के लिए छूट की शर्त के अनुसार कालोनाइजर को कुल विकसित क्षेत्र के कम से कम 25 प्रतिशत क्षेत्र पर 32 से 40 वर्गमीटर क्षेत्र के आकार के विकसित भूखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखने होंगे:

परन्तु यदि ऐसा कालोनाइजर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए विकसित भूखण्ड के बजाय निर्मित आवासीय भवन उपलब्ध कराना चाहे तो वह विकसित भूखण्ड के कुल क्षेत्र के एक चौथाई के बराबर के क्षेत्र पर 20 से 25 वर्गमीटर आकार के निर्मित भवन उपलब्ध करा सकेगा.

- (4) उपनियम (3) के अधीन आरक्षित भूखण्डों के आवंटन के लिए भूमि का मूल्य, संबंधित व्यक्ति को प्रतिकर प्रदान करने के लिए, नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) के उपबंधों के आधार पर अवधारित किया जाएगा. ऐसे मूल्य में भूखण्ड के विकास पर उपगत होने वाले व्ययों को आनुपातिक रूप से सम्मिलित किया जाएगा.
- (5) कालोनाइजर, द्वारा विकसित भूखण्डों के कुल क्षेत्र में से उपनियम (1), (2) और (3) के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भूखण्डों/संनिर्मित आवासों को आरक्षित करने के अतिरिक्त, कालोनी में 10 प्रतिशत के बराबर 41 से 96 वर्गमीटर आकार के पूर्ण विकसित भूखण्ड निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए भी आरक्षित रखे जाएंगे. तथापि, ऐसा कालोनाइजर जो अपनी आवासीय कालोनी में विकसित भूखण्डों के स्थान पर, संनिर्मित आवासीय भवन, निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को देना चाहता है, तब वह कालोनी में सभी श्रेणियों के भवनों के कुल निर्मित क्षेत्र के 10 प्रतिशत के बराबर 26 से 48 वर्गमीटर आकार के संनिर्मित भवन उपलब्ध करा सकेगा.
- (6) किसी भी कालोनी के विकास के लिए विकास योजना और स्वीकृति की मंजूरी प्रदान करने के दौरान सक्षम प्राधिकारी इन नियमों के अधीन आवासीय प्रयोजनों के लिए उस कालोनी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लिए आरक्षित भूमि की उपयुक्तता का परीक्षण करेगा.
- (7) उपनियम (1), (2), (3) और (5) के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्ग के लिए आरक्षित भूखण्डों/भवनों के आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन, भूखण्ड/भवन के मूल्य का अवधारण तथा आवंटन निम्नलिखित समिति द्वारा किया जाएगा:—

(क) संभागीय मुख्यालय पर स्थित समिति की दशा में,

(एक)	संभागीय आयुक्त	अध्यक्ष
(दो)	स्टाम्प कलक्टर	सदस्य
(तीन)	जिले का कलक्टर	सदस्य
(चार)	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
(पांच)	उप पंजीयक, सहकारी सोसाइटी	सदस्य
(छह)	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	सदस्य
(सात)	संभागीय उप संचालक, नगरीय प्रशासन और विकास	सदस्य
(आठ)	नगरपालिक, आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सदस्य-सचिव

(ख)	संभागीय मुख्यालयों से भिन्न स्थित समितियों की दशा में,	
(एक)	जिले का कलक्टर	अध्यक्ष
(दो)	स्टाम्प कलक्टर	सदस्य
(तीन)	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
(चार)	उप पंजीयक, सहकारी सोसाइटी	सदस्य
(पांच)	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	सदस्य
(छह)	नगरपालिक, आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सदस्य-सचिव

(8) उप-नियम (7) के अधीन गठित समिति, भूखण्ड का मूल्य उस दर के आधार पर, जिस पर संबंधित कालोनी की भूमि कालोनाइजर द्वारा क्रय की गई थी या यदि, भूमि पहले से ही उसके स्वामित्व में थी, तो उस समय, जब उसने कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था, यथा प्रचलित स्टाम्प कलक्टर द्वारा अवधारित दर पर, अवधारित किया जाएगा और उसमें आनुपातिक रूप से विकास शुल्क सम्मिलित होगा. भवन की दशा में, भवन की निर्माण लागत भी सम्मिलित होगी.

(9) दिनांक 18 अप्रैल, 2010 की स्थिति में आश्रय निधि में उपलब्ध राशि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार निम्नलिखित समिति के अनुमोदन के पश्चात् उपयोग की जाएगी:—

(एक)	कलक्टर	अध्यक्ष
(दो)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण	सदस्य
(तीन)	आयुक्त, नगरपालिक निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत	सदस्य
(चार)	संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	सदस्य
(पांच)	उपायुक्त/ कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल	सदस्य
(छह)	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य

(10) कलक्टर के पास जमा आश्रय शुल्क की रकम बिना ब्याज के ऋण के रूप में स्थानीय निकाय/मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल/विकास अभिकरण को उपलब्ध कराई जा सकेगी. उक्त रकम का उपयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भवन निर्माण करने हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु मार्जिन धन के रूप में किया जा सकेगा. यह रकम पुरानी झुग्गी बस्ती क्षेत्र में तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां झुग्गी निवासियों को पुनः बसाया जा रहा हो, अधोसंरचना विकास के लिए बुनियादी सेवाओं जैसे मलवहन, पेयजल, सार्वजनिक शौचालयों आदि की व्यवस्था करने के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी.

(11) नियम 8 में विहित आवेदन प्रस्तुत करते समय, कालोनाइजर को यह स्पष्ट करना होगा कि वह उपनियम (1), (2), (3), (4) तथा (5) में दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प का चयन करना चाहेगा और वह आवेदन के साथ उसके द्वारा चयन किए गए विकल्पों के ब्यौरे भी प्रस्तुत करेगा. सक्षम प्राधिकारी द्वारा कालोनी निर्माण करने (कालोनाइजेशन) की मंजूरी देते समय इन विकल्पों का तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा और ऐसी मंजूरी में वह विकल्पों के संबंध में भी वर्णन करेगा.

3. नियम 12 के खण्ड (1) में, शब्द “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” के पश्चात्, शब्द “तथा निम्न आय वर्ग” अन्तःस्थापित किए जाएं.

4. प्ररूप चार में, अनुक्रमांक 10 की मद क्रमांक (5) के पश्चात्, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(5-क) नियम 10 के अनुसार निम्न आय वर्ग को भू-खण्ड/निर्मित भवन उपलब्ध कराने के विकल्प चयन के ब्यौरे.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, उप सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2011

क्र. एफ-1-30-2011-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-30-अठारह-3-2011 दिनांक 6 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, उप सचिव.

Bhopal, the 6th June 2011

No. 30 F-1-30-2011-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Sections 292-A, 292-B and 292-E of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Sections 339-A, 339-B and 339-E of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby Makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Nagar Palika (Registration of Colonizer, Terms and conditions) Rules, 1998, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. Rule 2 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and in sub-rule (1) as so renumbered, the definition of “colonizer” and “colony” shall be deleted and after sub-rule (1) as so renumbered, the following new sub-rule shall be inserted, namely:—

“(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.”.

2. For rule 10, the following rule shall be substituted, namely:—

“10. **Availability of plots/houses for the economically weaker Sections and the lower income group in residential colonies,—**

- (1) In every residential colony in the urban area, out of the area of the developed plots by the Colonizer, fully developed plots equal to fifteen percent of the size of 32 to 40 square metre area, shall have to be reserved for persons belonging to economically weaker Sections.
- (2) Such colonizer who wishes to offer the constructed residential houses instead of developed plots in his residential colony for the persons of the economically weaker Sections under sub-rule (1), then he may make available the residential houses of the size of 20 to 25 square metre constructed on an area equal to fifteen percent of the total built up area of houses of all the categories in the colony.
- (3) In respect of the land on which the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (No. 33 of 1976) is applicable, the colonizer shall have to reserve developed plots of the size of 32 to 40 sq. metre area on at least 25% area of the total developed area for the persons belonging to economically weaker Section in accordance with the condition for exemption from the State Government for that land under section 20 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (No. 33 of 1976) :

Provided that if the colonizer wishes to make available the constructed residential houses instead of developed plots for the persons of economically weaker Sections, he may make available the constructed residential houses of the size 20 to 25 square metre on an area equal to one-fourth of the total area of the developed plot.

- (4) The value of the land for the allotment of reserved plots under sub-rule (3) shall be determined on the basis of the provision of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (No. 33 of 1976) for awarding compensation to the person concerned. In such value the expenses likely to be incurred on the development of the plot shall be included proportionally.
- (5) In addition to reserving the plots/constructed houses for the economically weaker Sections under sub-rule (1), (2) and (3), out of the total area of the developed plots by the colonizer, fully developed plots equal to ten percent of the size of 41 to 96 square metre area, shall also have to be reserved in the colony for the persons belonging to lower income group. However, such colonizer who wishes to offer the constructed residential houses instead of developed plots in his residential colony for the

persons of the lower income group, then he may make available the houses of the size of 26 to 48 square metre constructed on an area equal to 10 percent of the total built up area of the houses of all the categories in the colony.

- (6) While sanctioning the development plan and grant of permission for development of any colony, the Competent Authority shall examine the suitability of the land reserved in the colony for economically weaker Sections and lower income group for residential purposes under these rules.
- (7) For the allotment of plots/houses reserved for economically weaker Sections and the lower income group under sub-rules (1), (2), (3) and (5), the selection of eligible persons, determination of cost of plot/house and allotment shall be made by the following committee—
- (a) In case of committee situated at Divisional Headquarters—
- | | |
|--|------------------|
| (i) Divisional Commissioner | Chairman |
| (ii) Collector of Stamps | Member |
| (iii) Collector of the District | Member |
| (iv) Project Officer, District Urban Development Agency | Member |
| (v) Deputy Registrar, Co-operative Society | Member |
| (vi) Deputy Director, Town and Country Planning | Member |
| (vii) Divisional Deputy Director, Urban Administration and Development | Member |
| (viii) Municipal commissioner/Chief Municipal Officer | Member Secretary |
- (b) In case of committee situated other than Divisional Headquarters—
- | | |
|--|------------------|
| (i) Collector of the District | Chairman |
| (ii) Collector of Stamps | Member |
| (iii) Project Officer, District Urban Development Agency | Member |
| (iv) Deputy Registrar, Co-operative Society | Member |
| (v) Deputy Director, Town and Country Planning | Member |
| (vi) Municipal commissioner/Chief Municipal Officer | Member Secretary |
- (8) The Committee constituted under sub-rule (7) shall determine the cost of plot on the basis of the rate at which the land of the colony concerned was purchased by the colonizer or if, the land was already in his ownership at the rate determined by the Collector of Stamps as prevailed at the time of submission of the application by him for registration as Colonizer and shall include the development fees proportionally. In case of house, the construction cost of the house shall also be included.
- (9) The amount available under the Shelter Fund as on 18th April, 2010 shall be utilized after approval by the following committee in accordance with the instructions issued by the State Government from time to time.
- | | |
|---|----------|
| (i) Collector | Chairman |
| (ii) Chief Executive Officer, Development authority | Member |
| (iii) Commissioner, Municipal Corporation/Chief Municipal Officer, Municipality/Nagar Panchayat | Member |
| (iv) Joint Director/Deputy Director/Assistant Director, Town and Country Planning | Member |
| (v) Deputy Commissioner/Executive Engineer, Madhya Pradesh Housing Board | Member |
| (vi) Project Officer, District Urban Development Agency | Member |

- (10) The amount of Shelter fee deposited with the Collector may be made available without interest as loan to local bodies/Madhya Pradesh Housing Board/Development authority. The said amount may be utilized as margin money to obtain loan from financial institutions for the construction of houses for economically weaker Section. This amount may be utilized for providing the basic services like sewerage, drinking water, public toilets etc. in the old jhuggi Basti area and for infrastructure development in areas, where Jhuggi dwellers are resettled.
- (11) At the time of submission of the application prescribed in rule 8, the colonizer shall have to clarify that out of the options given in sub-rule (1), (2), (3), (4) and (5) which option he would like to select and shall also submit the details of the options as selected by him along with the application. These option shall be got technically examined by the competent authority at the time of sanction for colonization and he shall also mention about the option in sanction so granted.''.

3. In clause (i) of rule 12, after the words "economically weaker Sections", the words "and the lower income group" shall be inserted.

4. In Form Four, after item No. (5) of serial No. 10, the following item shall be inserted, namely:—

"(5-A) Details of option chosen for providing plots/constructed houses to Lower Income Group as per rule 10."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PRAMOD GUPTA, Dy Secy.